THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Virumbi, when Shri Narayanan was making his Special Mention...

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): The Sri Lankan Navy has committed this kind of atrocities against the fishermen repeatedly. But the Government is not taking any steps in this regard.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Government has noted it. The Minister of Parliamentary Affairs is going to convey your concern as well as all of ours to the Government

Mr. Virumbi, as I informed Shri Narayanan, the Sri Lankan Minister of Shipping had called on me for some other reason, but I mentioned to him this concern, and I told him that this matter would be raised in the House today. This has been raised before also. It is a humanitarian problem. The poor fishermen have no fault of their own and they suffer. Their catches are also confiscated. I have already conveyed it at my level, and I am sure, the Government will take appropriate action.

SHRI P.G. NARAYANAN: But the Government has to take this matter very seriously.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If Deputy Chairman takes it seriously, they will also take it seriously.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): We are taking it very seriously.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, through you, I thank the hon. Minister for taking it seriously.

THE DEPUTY CHAIRMAN: She may look smiling but basically, she is a very serious person with a good smile on her face.

So, we come to the end of the Special Mentions.

GOVERNMENT BILLS

The Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2003

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will now taken up the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2003. As Sushmaji has told me, there is

nothing much in the Bill to talk about. She will speak first. Then, I have only one speaker here, Mr. Ravula Chandra Sekar Reddy, and a request from Prof. Soz who wants to seek some clarification. *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, please add my name also.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not the question of everybody speaking. Let her speak first. Then, if there are any clarifications to be sought, you can speak. But there is nothing much in the Bill. *(Interruptions)* Let her move the Bill and let it come up for discussion.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir): Madam, I have objection even to the discussion on the Bill, So, I must speak first.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Have you given the notice?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: I have given the notice.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: No. Have you given the notice of disapproval of the Bill?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Yes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not the notice of disapproval.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Madam, I want to oppose the Bill for different reasons. I do not challenge the hon. Minister's capacity and her acumen as the Minister. *(Interruptions)* I have given the notice why I want the Bill to be comprehensive. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute, please. Don't create confusion.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: This is not the stage of introduction. You did not give the notice at the stage of introduction. Now if you want to oppose the Bill, you oppose it after I have spoken.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: I have given the notice that I will oppose the Bill.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Then, you speak after I have spoken.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: No, that is not the thing. The rule is that I must explain my objections. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute, Sushmaji. He has given the notice not for the disappoval of the Bill. The paper that he has given here says that he wants to seek some clarifications. So, it can only come after you have moved the Bill and spoken on it. At the time of the discussion, I would permit him.

श्रीमती सुषमा स्वराज: अभी तो मैंने डिस्कशन का मोशन ही नहीं रखा है तो सोज साहब क्लेरिफिकेशन किस पर मांगेंगे?

उपसभापति: आप मोशन रखिए। मैंने तो अभी एप्रूव भी नहीं किया है।

PFOF. SAIF-UD-DIN SOZ. I think I have to speak first. But I accept the verdict of the Chair.

उपसभापति: सोज़ साहब, पहले तब बोलते हैं जब आपने इंट्रोडक्शन के समय पर बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपोज किया हो। Once the Bill becomes the property of the House, only at the stage of discussion you can speak. I will permit you. Sushmaji, please speak.

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:— ''भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए''।

महोदया, यह एक बहुत छोटा सा संशोधन है लेकिन चूंकि यह आवश्यक था इसलिए हमें इसे अध्यादेश के जरिए लाना पड़ा। आपको मालूम है कि मॉडर्न मेडिसिन के कालजों को संचालित करने के लिए 1956 में एक ऐक्ट बना था, एम.सी.आई ऐक्ट। उसी तरह आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध सिस्टम के कालेजों को संचालित करने के लिए 1970 में यह ऐक्ट बना, आई. एम.सी.सी. ऐक्ट जिसमें सी.सी.आई.एम. अनुमति देती थी नये कालेजों को खोलने के लिए, उनमें सीटों की क्षमता बढ़ाने के लिए या उनमें नए कोर्सेज शुरू करने के लिए। हमारे 30-32 वर्षों के अनुभव ने यह बताया कि बहुत से कालेज ऐसे खुल गए जहां न तो उपकरण पूरे थे, न फैकल्टी पूरी थी, न इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा था। इसलिए संसद ने अपनी बुद्धिमता से सन् 2002 में एक विधेयक पारित किया और कहा कि केन्द्र सरकार की अनुमति से ये कालेज खुलने चाहिए, उन्ही की अनुमति से इनमें सीटें बढ़नी चाहिए और उन्ही की अनुमति से नए कोर्सेज खोले जाने चाहिए। वह बिल सन् 2002 में पारित हो गया और 28 जनवरी, 2003 से वह विधेयक लागू हो गया। उस विधेयक में संसद ने जो संशोधन किए थे, उनको अमली जामा पहनाने के लिए कुछ नियम बनाए जाने थे। वे नियम बनाकर जब उनका प्रारूप हमने विधि मंत्रालय को भेजा तो विधि मंत्रालय ने हमको बताया कि इसमें आपने जो शब्द लिखा है, वह लिखा है ''मेडिकल इंस्टीट्यूशन'' और ''मेडिकल इंस्टीटयूशन'' की परिभाषा कहती है कि केवल वे संस्थान जो डिग्री और डिप्लोमा देते हैं वही ''मेडिकल इंस्टीट्यूशन'' कहे जा सकते हैं जब कि आपकी मंशा ''मेडिकल कालेजों'' को रेगुलेट करने की है। ''मेडिकल कालेज'' शब्द ''मेडिकल इंस्टीट्यूशन'' में नहीं आ रहा है, इसलिए आप जब तक इसमें ''मेडिकल कालेज'' शब्द नहीं डालेंगे तब तक आपकी यह मंशा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए इसमें वह शब्द ''मेडिकल कालेज'' डालना है। वह बिल पारित हो चुका हैं, संसद में पूरी बहस के बाद दोनों सदनों ने यह बिल पारित कर दिया और 28

जनवरी को लागू हो गया। उसके नियम बनाने के समय पर यह चूक सामने आई कि "मेडिकल इंस्टीट्यूशन" शब्द में "मेडिकल कालेज" की परिभाषा शामिल नहीं है, इसलिए "मेडिकल कालेज" शब्द इसमें डाला जाय। उसी समय उन्होंने यह बात भी कही कि नए कालेजों के बारे में तो यह ठीक है कि नए कालेज खोले जाएं, नए कालेजों की क्षमता बढ़ाई जाए, नए कालेजों में नए कोर्सेज शुरू किए जाएं, यह आप अनुमति देंगे, लेकिन जो पुराने हैं जिनके सब-स्टेंडर्ड के कारण यह विधेयक आप लाग उनको भी अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेंडर्ड में आए तो उन्हें तीन वर्ष का समय दे दीजिए ताकि वे भी तीन वर्ष के अंदर केन्द्र सरकार की अनुमति ले लें। तो यह दो छोटी चीजें ला रही हूं। एक, धारा-2 में "ईए" हम जोड़ करके "मेडिकल कॉलेज" शब्द ला रहे हैं जिसको परिभाषित कर रहे हैं और एक थर्टीन-ए और बी के बाद थर्टीन-सी डाल कर यह कर रहे हैं कि जो मौजूदा कॉलेज हैं उनको भी इन स्टेंडर्ड में यूनिफार्मिटी लाने के लिए तीन वर्ष के अंदर केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। केवल इतने भर संशोधन ये हैं। इन संशोधन में भी अगर कोई क्लेरिफिकेशन सोज साहब को या विरुम्भी को चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, वरना मुझे लगता है कि जो संसद ने बहस के बाद पारित कर दिया उसमें जो थोड़ी सी एक चूक विधि मंत्रालय ने हमको बताई केवल उस चूक को पूरा करने के लिए यह संशोधन लाए हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि इसको पारित किया जाए।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Then, why did you promulgate this Ordinance?

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपका यह वेलिड पोइंट है। मैंने आपसे कहा कि शुरू में आवश्यकता थी। 70 एप्लीकेशंस हमारे पास पेंडिंग थी, कोर्ट में भी केसेज थे और हम लोगों ने लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को जो ड्राफ्ट दिया था उसमें वे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते थे जब तक यह संशोधन न हो। तो इसलिए हम लोगों ने आर्डिनेंस से करके लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को ड्राफ्ट भेज दिया, वे सारे 70 के 70 केसेज प्रोसेस कर दिए। तो यह जो लिटिगेशन होने का हम लोगों को डर लग रहा था और जो इतना समय जा रहा था इसके लिए हम यह अध्यादेश लाए।

The question was proposed.

उपसभापति: सोज साहब, आपकी क्या समस्या है इस पर, आप क्या पूछ रहे हैं?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: काफी ऐतराज है इस बिल पर।

उपसभापति: बिल पास हो गया है।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: मगर मैं बताऊंगा। पहले तो कहते हैं कि बहुत थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है। तो मेरी अर्ज है आपकी वसादत से। सुषमा स्वराज जी को मैं बहुत काबिल मिनिस्टर मानता हूं और मुझे लगता है कि हैल्थ मिनिस्ट्री में कुछ जान आ गई होगी यह जरूरत पड़ती है कम से कम इसका ख्याल रखना चाहिए कि पार्लियामेंट मिरात वाहिद है। यह तो 5 दिसम्बर को आपने

आर्डिनेंस किया। गवर्नमेंट आफ इंडिया में कोई तो ऐसा मिनिस्टर हो जा पार्लियामेंट का ऐतराम करे। बल्कि ऐसा भी हमने अपनी आंखों से देखा है कि हफ्ता भर पहले आर्डिनेंस कर दिया और कहा कि बड़ी मजबूरी हो गई। सुषमा जी का शुम्मार मैं उन मिनिस्टरों में करता हूं जो अपना कामकाज ठीक संभाले हुए हैं। इसलिए 7 नवम्बर को आर्डिनेंस करना और फिर पालियामेंट में आना बिल बना कर और कोई तरमीम इसमें तब से नहीं की गई हैं, यह वही है जो आर्डिनेंस में था। अब सबसे बड़ी बात तो मैं इनके सामने लाना चाहता हूं। मुझे ''मेडिकल कॉलेज'' के शब्द पर एतराज है जो लॉ मिनिस्ट्री से आ गया। मगर मैं एक सिटिजन हूं और तजुर्बा रखता हूं कि फील्ड में क्या है। ''मेडिकल कॉलेज'' के शब्द पर भी मुझे ऐतराज है। वह क्या? वह इसलिए कि मैं यह चाहता था कि सुषमा जी इंडियन मेंडिसिंस पर एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाएं। क्योंकि कम्प्रीहेंसिव बिल लाने तक समाज में एक तकलीफ है जिसको देखना चाहिए। मसलन मैं आपको बताऊंगा कि यहां दिल्ली में हकीम अब्दुल हमीद साहब थे। वे बहुत बुढ़ापे में थे लेकिन मुझको वे कहते थे कि दोस्त हैं यह मेरे। मैंने मुबारकबाद दे दी कि आपने चांसलर बनना मान लिया है। क्योंकि वे लालची आदमी नहीं थे He created a very big university here लेकिन उनके दिल में अफसोस था। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास अफसोस इजहार करने आया हूं जिनको मैं यूनानी हकीम बनाना चाहता हूं, वे मेरे कॉलेज से निकल कर, यूनिवर्सिटी से निकल कर डाक्टर हो जाते थे। वे लिखते हैं डाक्टर साहब। मैं कहना चाहता हूं कि जो यूनानी मेडिसिन हैं उसमें बहुत ऐसी कामयाब मेडिसिन हैं जो एलोपैथिक के सामने खड़ी हो जाएंगी और इसी तरह से उन्होंने कहा कि आयुर्वेद। लेकिन जुल्म यह है और मुझे पता नहीं है कि कल सुषमा जी कौन सी मिनिस्टर होंगी। लेकिन जब उनको वहां से हटाया था तो मैंने ऐतराज किया था। She was doing very good work there. आप कहें कि कहीं इन पर और नजर न लग जाए आर यहां से भी जाएं। मैं यह चाहता हूं कि आप हैल्थ के सैक्टर को, हैल्थ की स्कीम को इन सब चीजों में खूब नजर डालें। यह ब्यूरोक्रेटिक रास्ते से नहीं आए becasue you are responsible to Parliament. Then, the Parliament is responsible to the society which is a bigger institution. अल्टीमेटली तो हमको अवाम के दरबार में जाना पड़ता है इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि यह एक जुल्म है जो देहात में है। सिटी में हमको कहा जाएगा कि एलोपैथी डाक्टर होना चाहिए जो एम०आर०सी०पी० हो लंदन से, जो एम०डी० हो। यहां तो ऐसा है कि अगर खेत में आपको जोतना है तो बैलों की अच्छी जोड़ी होनी चाहिए या ट्रेक्टर होना चाहिए। सिटी में देखा जायेगा कि एक डाक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देहात में कोई नहीं देखता है और वहां वैद्य साहब डाक्टर हो जाते हैं, वहां हकीम साहब डाक्टर हो जाते हैं और स्टेथोस्कोप लगाते हैं, एलोपैथिक मेडिसन प्रेस्क्राइब करते हैं। अब देहात में थोड़ी बहुत हलचल होनी शुरू हुई है। एक वक्त होगा भारत में जब पूरी कौम को [illegible] होगा कि हम कौन सी मेडीसिन इस्तेमाल करें। मैं नहीं मानता हूं कि एलोपैथी बहुत सुपीरियर है, लेकिन क्या आप इन्कार

करेंगे कि इस वक्त नॉलेज का एक्सप्लोजन है in surgery. Can a Vaid do it? Can a Hakim do it? But, my proposition,—I do not want to denounce Ayurveda or I do not want to denource Unani—my grouse is that these Vaids and Hakims become doctors. They use stethoscopes. They prescribe allopathic medicines. A lot of harm is caused to the people who have no voice because they live in the remote corners of the country आपने खुद बताया कि इसमें थोड़ा सा किया है। मैं तो कहता हूं कि जब कोई बीमार होता है, दवाई से फर्क नहीं पड़ता है देन यू नीड ए निश्तर, तब तो आपरेशन करना पड़ता है। यह जो इंडियन मेडीकल काउन्सिल है इसमें जो आपके सामने प्राब्लम है, इसमें निश्तर चाहिए। You have to operate it. You have to respond to the situation where Vaids and Hakims are prescribing medicines sanctioned under the allopathic doctrine. So, that causes a disaster. They do not know what is peracetamol. But they prescribe it. And very strong medicines are prescribed by these people. Nowhere do they write that they are Hakims or nowhwere do they write that they are Vaids. I have no grouse against the people who would say that they would get treated by homoeopathy or Ayurveda or Unani. But they must put up a board that they are Hakims or vaids and are not doctors. They cannot use stethoscope. हकीम साहब को नब्ज देखनी चाहिए और जब यहां इंग्लैड से चार्ल्स आये, उन्होंने हकीम साहब के साथ मुलाकात की और हकीम साहब ने चार्ल्स को इम्प्रेस किया कि यूनानी मेडिसिन्स जो है is a very superior medicine. It is comparable to allpathic medicine. But as long as you do not prescribe rules whereby a Vaid does not become a doctor and whereby a Hakim does not become a doctor— he remains a Hakim and should be prescribing Unani medicines— we shall have no grouse. Since the society, a vast segment of the society is suffering through these thing, you will have to correct this malaise and you will have to rise to the occasion. You have the acumen to rise to the occasion. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Actually, he is trying to say that those who become Hakims or Vaids, they write they are doctors and they prescribe allpathic medicines. There should be some mechanism by way of which they should not prescribe those allopathic medicines of which they have no knowledge. I think that is the sum and substance of what he had said.

Now I have Mr. Raamachandrayya. Now I have Mr. Raammachandrayya. रामचन्द्रया जी, आपका क्या एतराज है?

श्री रूमान्डला रामचन्द्रया (आन्ध्र प्रदेश): उपसभापति महोदया, हमें कोई एतराज नहीं है। हम इस बिल को अपनी ओर से, पार्टी की ओर से सम्पूर्ण मदद देते हुए पास करने के लिए विनती करते हैं। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is a good thing. *(Interruption)*... Mr. Virumbi, do you have any objection?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Not to that. Madam, when the strength of students is increased without the permission of the concerned authorities or if colleges are established without getting the permission of the concerned authorities, then the crux of the issue is that the students who are studying in these colleges do not know that they are not recognised dones. Now, the crux of the issue is that the mistake is committed by those people who are running these colleges, but the punishment is given to the students who are studying in these colleges. Therefore, what I feel is that when a student wants to study in a particular college of any area, we must have it mentioned clearly on the application itself as to what is the registration number. Or, you must find out some other mechanism by which every student who wants to apply for any course, he must know whether that particular college is properly recognised or not. The hon. Minister should direct the concerned authorities to find out some mechanism in this regard. Otherwise, the students will be unnecessarily burdened and punished. The punishment should go to the people who are indulging in these wrong activities and not to the students. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Kidwai Sahab, do you have any objection?

DR. A.R. KIDWAI (NCT of Delhi): Madam, through you, I would like to place for the consideration of the hon. Minister of Health a point. I entirely support our friend, Prof. Soz's proposal that Hakims should remain as Hakims, Vaidyas should remain as Vaidyas and practice their discipline for which they have been trained. They should not be allowed to practice the modern medicine. Otherwise, they neither serve the cause of modern medicine nor they serve the cause of their Indian Systems of medicine. This is a very important point which has been made by him. But, I can expand this and say as to why it is happening. It is happening because you are not allowing the people to study the language in which the literature of traditional systems of medicine exist. You are not teaching them Ayurveda or Unani systems of medicine properly. For teaching Ayurveda, you need Sanskrit-based knowledge, because the entire literature is in Sanskrit. For studying Unani System of Medicine, you should know Urdu, Persian and Arabic, which are the source material of Unani. So, the responsibility is on the Ministry. You are preventing the people from studying Sanskrit, Urdu and Persian because they are the soruce material for these systems. If they do not study these

languages, how will they be able to get knowledge of Unani or Ayurveda? Once they do not get the knowledge of these, they, naturally, copy the modern medicine. I think this is, as pointed out by Mr. Soz, happening because of the rigidity in the Ministry of Education. I think there should be a clear-cut rule that Hakim should become only Hakim. He should not be allowed to practice the modern medicine. In the same way, Vaidyas should remain as Vaidyas because they have their own value in their own way and in their own sphere. Therefore, it is a very important step and we should, in fact, encourage people to know about this. Madam, Sanskrit background for Vaidyas, Urdu, Persian and Arabic background for Hakims has to be made mandatory. Therefore, the recent order of the Ministry abolishing Pre-TIB is a retrograde step. It should be withdrawn. Thank you.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति महोदया, मेरे चार सांसद साथियों ने इस चर्चा में भाग लिया। मैं श्री रामचन्द्रया जी का तो सम्पूर्ण समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। जो तीन साथियों प्रोफेसर सोज और डा॰ किंदवई ने विषय उठाए हैं, वे इस संशोधन से प्रासंगिक नहीं हैं, वे बड़े फलक के विषय हैं। अपने आप में उन पर अलग से चर्चा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त श्री विरुम्भी जी ने जो बात की है, वह शायद एमसीआई का उनके साथ जो ऐक्सपीरिएंस आ रहा है, उसके बेसिज़ पर उन्होंने यह बात की है लेकिन जैसे मैंने कहा कि यह संशोधन तो बहुत ही सीमित है। एक शब्द जो छूट गया था, मेडिकल इंस्टीट्यूशन की परिभाषा में मेडिकल कॉलेज नहीं आ रहा था, केवल उसको यहां लाने के लिए हमने यह बात की है। कभी भी इन विषयों पर अलग से चर्चा की जा सकती है। ये अपने आपमें वैध विषय हैं, बहुत वेलिड विषय हैं जिनको डा॰ किदवई ने उठाया है, जिनकों प्रो॰ सोज ने उठाया है। उनके ऊपर हम कभी भी बाद में चर्चा कर सकते हैं। अभी तो मेरी सभी साथियों से एक ही प्रार्थना होगी कि एक छोटा सा संशोधन, जो हमारे लिए लाना आवश्यक हो गया था क्योंकि पुराने विधेयक में एक कमी रही गयी थी, इसलिए कृपया इसे पारित किया जाए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2003, be taken into consideration."

The moton was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the bill

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

"विधेयक को पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I adjourn the House for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch.

at five minutes past one of the clock

The House re-assembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock,

THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

PRIVATE MEMBERS' BILLS

THE HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL, 2003

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka): Madam, I beg to move for leave to withdraw the Hindu Marriage (Amendment) Bill, 2003.

The question was put and the motion was adopted;

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Madam, I withdraw the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up Bills for introduction. The Prevention of Video Piracy of Films Bill, 2002. Dr. Dasari Narayana Rao.

Hon. Member absent.

The Youth (Employment and Other Career Opportunities) Bill, 2002.

Dr. Dasari Narayana Rao. Hon. Member absent.

The Removal of Illiteracy and Prohibition of Using Thumb Impression Bill, 2002. Dr. Dasari Narayana Rao. Hon. Member absent.

The Railway (Amendment) Bill, 2003. Shri P. Prabhakar Reddy.